

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एसबीटीसी/2020/ 2884

भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रति,


1. अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय - भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय
4. अधीक्षक,
सिविल अस्पतालजनसेवा रूग्णालय - इटारसी (होशंगाबाद), रानी दुर्गावती, जबलपुर एवं
इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल
मध्य प्रदेश

विषय:- होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2834 भोपाल, दिनांक 02/01/2020

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा ब्लड बैंक के द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त संदर्भित पत्र की कंडिका 2 में यह उल्लेख किया गया है कि "अस्पताल में भर्ती होकर उपचार प्राप्त करने वाले बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर उन्हें निशुल्क रक्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये, ए.पी.एल. श्रेणी के श्रेणी के मरीजों को रक्ताधान की आवश्यकता होने पर होल ब्लड एवं ब्लड कम्पोनेन्ट प्रोसेसिंग चार्जस से छूट प्रदाय की जाये" इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अस्पताल में भर्ती होकर उपचाररत सभी श्रेणी के मरीजों को निशुल्क ब्लड प्रदाय किया जाए किंतु अस्पताल के प्रायवेट वार्ड में भर्ती होकर उपचाररत मरीजों से संदर्भित पत्र की कंडिका 3 में उल्लेखित दरों के अनुरूप प्रोसेसिंग शुल्क की राशि प्राप्त कर रोगी कल्याण समिति में जमा कराई जाना चाहिए।

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनुमोदित



(राकेश मिश्रा)

संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें


मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2885

भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ प्रेषित :-

1. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
5. संचालक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सब जौन इंदौर, 67-72, टाइप-ए ग्रिफिन्स कॉलोनी, पिपल्याहाना रोड, इंदौर-1
10. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।
13. आदेश नस्ती।


संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश